दैनिक भास्कर

बीकानेर 25-10-2024

एसकेआरएयू में खरीद में पारदर्शिता अधिनियम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

सरकारी पैसे का प्रयोग करते समय टेंडर के ड्राफ्ट पर रखें ध्यान, संबंधित नियमों की करें पालनाः कलेक्टर

बीकानेर | स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सरकारी खरीद में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (आरटीपीपी एक्ट) दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने किया। दो दिवसीय शिविर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि सरकारी पैसे का उपयोग करते समय सरकार द्वारा जारी उपापन से संबंधित नियमों व कानूनों की पालना आवश्यक है। जिससे खरीद पारदर्शिता पूर्वक हो सके। साथ ही कहा कि ड्राफ्ट ऑफ टेंडर भी ठीक हो तो सभी जगह सही कार्य करवाए जा सकते हैं। कुलसचिव डॉ. देवा राम सैनी ने कहा कि हम सरकारी पैसे को पूरी तरह पब्लिक के वेलफेयर में तार्किक व औचित्य पूर्ण रूप से खर्च करें। एसकेआरएयू के वित्त नियंत्रक राजेन्द्र कुमार खत्री ने स्वागत उद्बोधन दिया। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर के संयुक्त निदेशक परशुराम सैनी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑक्शन मैनेजमेंट, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, वित्त विभाग द्वारा की जा रही पहल, बजट प्रबंधन इत्यादि पर प्रशिक्षण करवा रहा है।